प्रकाशन संख्या 495

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या–485

भवन निर्माण विभाग से संबंधित सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1993–94 (4.2), 1996–97 (4.1), 1997–98 (4.1), 1998–99 (4.4) एवं 2006–07 (4.1.5) पर लोक लेखा समिति का 485वाँ प्रतिवेदन।

(दिनांक .... को सदन में उपस्थापित)

विषय–सूची

		पृष्ठ
लोक लेखा समिति (मुख्य) गठन वर्ष 2011–12	.. ..	क
लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) गठन वर्ष 2011–12	.. ..	ख
सभा सचिवालय के पदाधिकारी / कर्मचारीगण, प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पदाधिकारीगण एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण।	.. ..	ग
प्राक्कथन	.. ..	ङ.

प्रतिवेदन (वर्ष)	कंडिका		
1993–94 (सि0)	4.2	.. ..	1–2
1996–97 (सि0)	4.1	.. ..	3–7
1997–98 (सि0)	4.1	.. ..	8–9
1998–99 (सि0)	4.4	.. ..	10–12
2006–07 (सि0)	4.1.5	.. ..	13–16
अनुलग्नक		.. ..	17–22

लोक लेखा समिति का गठन वित्तीय वर्ष 2011–12 (पंचदश विधान–सभा)

सभापति

श्री ललित कुमार यादव	स0वि0स0

सदस्यगण

श्री राजेश सिंह	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सहनी	स0वि0स0
श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव	स0वि0स0
श्री अशोक कुमार	स0वि0स0
श्री मंजीत कुमार सिंह	स0वि0स0
श्री अभिराम शर्मा	स0वि0स0
श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी	स0वि0स0
श्री विनोद नारायण झा	स0वि0स0
श्रीमती उषा सिन्हा	स0वि0स0
श्री कृष्णनन्दन यादव	स0वि0स0
श्री मनोहर प्रसाद सिंह	स0वि0स0
श्री राणा गंगेश्वर सिंह	स0वि0स0
श्री नीरज कुमार	स0वि0प0
श्री मो0 हारून रसीद	स0वि0प0
डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	स0वि0प0
श्री केदार नाथ पाण्डेय	स0वि0प0

लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) वित्तीय वर्ष 2011–12

सभापति

श्री ललित कुमार यादव — स०वि०स०

संयोजक

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव — स०वि०स०

सदस्यगण

श्रीमती उषा सिन्हा — स०वि०स०

श्री कृष्ण नन्दन यादव — स०वि०स०

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता — स०वि०प०

बिहार विधान–सभा सचिवालय

श्री लक्ष्मीकांत झा	प्रभारी सचिव
श्री हरेराम मुखिया	उप–सचिव.
श्री तारा चन्द रजक	अवर–सचिव
श्री भूदेव राय	अवर–सचिव
श्रीमती अनुपमा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री छोटे पासवान	वरीय लिपिक
श्री उमाशंकर यादव	वरीय लिपिक
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	कनीय लिपिक

प्रधान महालेखाकार कार्यालय

श्री प्रेमन दिनाराज	प्रधान महालेखाकार
श्री अनिल कुमार वर्मा	वरीय लेखा परीक्षा पदाधिकारी

वित्त विभाग

श्री अशोक प्रियदर्शी	उप–सचिव

प्राक्कथन

मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भवन निर्माण विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1993–94, 1996–97, 1997–98, 1998–99 एवं 2006–07 की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 485वाँ प्रस्तुत करता हूँ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 28 मार्च, 2012 को लोक लेखा समिति (मुख्य) की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) की विभाग के साथ कुल पाँच (5) बैठकें हुई हैं।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि से समिति को जो वांछित सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं अपनी तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को जो सहयोग प्रदान किया गया है, वह सराहनीय है। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यों द्वारा अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन को तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया गया है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें सहृदय धन्यवाद देता हूँ।

पटना :
दिनांक 28 मार्च, 2012 (ई0)।

(ह0) अस्पष्ट,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना।

अध्याय IV

सी0 ए0 जी0 प्रतिवेदन वर्ष 1993–94 (सि0) पृष्ठ सं0 107 द्रष्टव्य

4.2 निष्क्रिय निदेश एवं अतिरिक्त व्यय

छपरा के निबन्धन कार्यालय से संलग्न अभिलेख–कक्ष (सिविल, विद्युत् एवं जल आपूर्ति कार्य) के निर्माण एवं विस्तार का कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन अगस्त, 1983 में 4.12 लाख रु0 के लिए दिया गया (जिसमें से 3.76 लाख रुपये असैनिक कार्यों के लिए था)। नवम्बर, 1983 में आकलित लागत को 8.13 लाख रुपये तक संशोधित कर दिया गया। तथापि दोनों आकलनों में से किसी के संशोधित आकलन एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन के पूर्व ही कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, छपरा ने असैनिक कार्य के समापन के लिए संवेदक "क" के साथ एक संविदा का क्रियान्वयन 4.33 लाख रुपये की आकलित लागत पर किया। 2.12 लाख रुपये मूल्य के कार्य के समापन एवं मार्च, 1986 तक संवेदक "क" को 1.36 लाख रुपये के भुगतान के पश्चात् बिना कोई कारण बताए संविदा को बन्द कर दिया गया।

शेष असैनिक कार्य के 2.21 लाख रुपये की आकलित लागत को पुनः संशोधित कर 3.17 लाख रुपये कर दिया गया और संवेदक "ख" को अप्रील, 1988 से जनवरी, 1989 तक कार्य समापन के लिए 4.78 लाख रुपये संविदित मूल्य पर सौंपा गया। यद्यपि संवेदक "ख" को मार्च, 1991 तक 4.76 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया असैनिक कार्य जुलाई, 1994 तक अपूर्ण पड़ा रहा।

मात्र असैनिक कार्यों के लिए 3.76 लाख रुपये के आरंभिक आकलन की तुलना में उसपर किये गये वास्तविक व्यय का योग 7.02 लाख रुपये था (जैसाकि कार्यपालक अभियन्ता ने जुलाई, 1994 में सूचित किया, इसमें 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई) यद्यपि कार्य जुलाई, 1994 तक पूरा नहीं हुआ था इसके अतिरिक्त संवेदक "क" को भुगतान के लिए 0.76 लाख रुपये की लम्बित देयता थी। लेखा परीक्षा में छानबीन (मार्च, 1991) से पता चला कि निधि एवं सामग्री (सीमेन्ट इत्यादि) का प्रावधान न किये जाने के कारण कार्य प्रथम अभिकरण द्वारा समय पर पूरा नहीं किया जा सका जिसके फलस्वरूप 4.02 लाख रुपये की लागत वृद्धि हुई (7.78 लाख रुपये 3.76 लाख रुपये) क्योंकि कार्य को एक अन्य अभिकरण को आवंटित करना पड़ा।

इस प्रकार संविदा के अनुसार असैनिक कार्य को पूरा करवाने में प्रमण्डल की असफलता के फलस्वरूप 7.02 लाख रुपये का निष्क्रिय निवेश हुआ एवं भवन निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

इस मामले की सूचना सरकार को दी गई थी (सितम्बर, 1994) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

विभागीय स्पष्टीकरण

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा ने तत्संबंधित उठाई गई बिन्दु के संबंध में पत्र संख्या 600 अनु0, दिनांक 4 अप्रील, 2011 द्वारा निम्न रूपेण अद्यतन स्थिति से संबंधित पत्र उपलब्ध कराया गया है :–

(1) सन् 1983 में 3.76 लाख रुपये असैनिक कार्यों के लिए था।

(2) कार्य बन्द होने के कारण––एकरारनामा 4.33 लाख रुपये का हुआ परन्तु संवेदक के द्वारा सामग्रियों के दर में बढ़ोत्तरी के कारण कार्य को पूर्ण करने में रूची नहीं ली जा रही थी। इसलिए उसके आवेदन पर मुख्य अभियंता द्वारा एकरारनामा बन्द करने का आदेश दिया गया, उस क्रम में संवेदक को 2.12 लाख के कार्य के एवज में मात्र 1.36 लाख रुपये मात्र का ही भुगतान करके शीर्ष भुगतान को रोकते हुए कार्य बन्द कर दिया गया।

(3) पहले संवेदक के एकरारनामा बन्द करने के बाद दूसरे संवेदक के साथ दिनांक 25 अप्रील, 1988 को मुख्य अभियंता के निर्देशानुसार 4,78,115 रुपये मात्र का एकरारनामा कर 4,76,000 रुपये भुगतान के पश्चात् कार्य करा दिया गया।

(4) अद्यतन प्रतिवेदन भवन को जिला अवर निबंधक, सारण को सभी कार्यों को पूर्ण कर हस्तगत करा दिया गया है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है। अनुलग्न 17 से 19 पर द्रष्टव्य

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 अप्रील, 2011 की बैठक में विभागीय उत्तर एवं प्रधान महालेखाकार की सहमति के आलोक में इस कंडिका को समिति द्वारा निष्पादित किया गया।

अध्याय IV

सी0ए0जी0 प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 (सि0) पृ0 सं0 335 से 338 द्रष्टव्य

4.1 मुख्य मंत्री एवं मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को मानक से बहुत अधिक मात्रा में सज्जा–सामग्री की आपूर्ति

सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड (बिहार मंत्री के वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 1953) के अनुसार मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रीगण क्रमशः 38,500 रुपये एवं 33,500 रुपये के सज्जा सामग्री के अधिकारी थे। उन्हें आपूर्ति की गयी लोहे, लकड़ी एवं कपड़े की सामग्रियों की आयु भी सरकार द्वारा (अगस्त, 1989) क्रमशः 15, 10 एवं 3 वर्ष निर्धारित की गयी थी।

चार प्रमण्डलों (केन्द्रीय प्रमंडल, पटना, पाटलिपुत्र भवन निर्माण प्रमंडल, पटना, विद्युत् कार्य प्रमंडल, पटना एवं विद्युत् आकलन प्रमंडल 1, पटना) के नमूना जाँच (मई एवं जून, 1997) से प्रकटित हुआ कि प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा 23.45 लाख रुपये की सज्जा सामग्री प्राप्त की गयी जो निर्धारित मापदंड से बहुत ही अधिक था तथा उसे मुख्य मंत्री एवं 20 मंत्रियों को 1990–95 के दौरान निर्गत की गयी जो नीचे की सारणी में दर्शाया गया है :–

क्रम सं0	मंत्रियों के नाम	सामग्रियों की आपूर्ति के लिए अनुमान्य रकम	1990 की अवधि में आपूर्तित सामग्रियों का मूल्य	1995 की अवधि में आपूर्तित सामग्रियों का मूल्य	अधिक निर्गत	प्रमंडल का नाम
	सर्व श्री		(रुपये में)			
1	लालू प्रसाद तत्कालीन मुख्य मंत्री	38500	1020860	651969	1634329	केन्द्रीय (कार्य) प्रमंडल एवं विद्युत् (कार्य) प्रमंडल, पटना
2	मंगनी लाल मंडल	33500	56941	171836	195277	पाटलिपुत्रा एवं नलकूप प्रमंडल, पटना
3	वृषण पटेल	33500	76180	..	42680	पाटलिपुत्रा प्रमंडल, पटना
4	पूर्णमासी राम	33500	74628	..	41128	वहीं
5	सुरेन्द्र सिंह	33500	78498	..	44998	वहीं
6	इलियास हुसैन	33500	46325	23105	35930	वहीं
7	सीताराम सिंह	33500	44226		10726	वहीं

क्रम सं0	मंत्रियों के नाम	सामग्रियों की आपूर्ति के लिए अनुमान्य रकम	1990 की अवधि में आपूर्तित सामग्रियों का मूल्य	1995 की अवधि में आपूर्तित सामग्रियों का मूल्य	अधिक निर्गत	प्रमंडल का नाम
	सर्व श्री		(रुपये में)			
8	रामजीवन सिंह	33500	44544	33500	44544	वही
9	रामनरेश प्रसाद	33500	44337	..	10837	वही
10	रामविलास मिश्रा	33500	43527	..	10027	वही
11	ब्रह्मदेव मंडल	33500	37054	..	3554	वही
12	गजेन्द्र प्रसाद सिंह	33500	36670	..	3170	वही
13	मुन्द्रिका यादव	33500	34702	..	1202	वही
14	भोला राम तूफानी	33500	35092	33500	35092	वही
15	पशुपति कुमार पारस	33500	58925	33500	58925	वही एवं केन्द्रीय प्रमंडल
16	जय प्रकाश नारायण यादव	33500	43026	33370	42896	वही
17	बृज बिहारी प्रसाद	33500	35500	33500	35500	पाटलिपुत्रा प्रमंडल
18	रमई राम	33500	33500	33440	33440	केन्द्रीय (कार्य) प्रमंडल
19	तुलसी सिंह	33500	33520	33500	33520	पाटलिपुत्रा प्रमंडल
20	विद्यासागर निषाद	33500	28700	29000	24200	पाटलिपुत्रा प्रमंडल
21	इन्दर सिंह नामधारी	33500	16133	28916	11549	केन्द्रीय (कार्य) एवं विद्युत (कार्य) प्रमंडल
	योग	708500	1922888	1139136	2353524	

(ii) तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री लालू प्रसाद) को 1990 में पूरे आधुनिक सुविधाओं से युक्त यथा पलंग, सोफा, वातानुकूलन मशीन, टेबुल, कुर्सी, पंखे, आलमीरा इत्यादि से सुसज्जित एक किराया मुक्त आवास मुहैया किया गया था। 1990 से मई, 1997 के दौरान कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय प्रमंडल, भवन एवं आवास विभाग, पटना के द्वारा उनके सरकारी आवास को 16.73 लाख रुपये की अतिरिक्त सज्जा सामग्री की आपूर्ति की गयी। इसमें 25 पलंग, 26 सोफासेट, 1654 परदा का कपड़ा जिसकी माप 3920 मीटर थी, सरीखे कीमती सामान शामिल थे। कुल मिलाकर 141 परदा (72 खिड़की एवं 69 दरवाजा), 399 कुर्सियाँ, 8 आलमीरा, 32 चौकी, 10 कालीन, 17 बेंच, 35 टेबुल, वैकुम क्लीनर एवं अन्य सामग्रियों को निर्गत किया गया था। पहले (1990–94) दी गयी सामग्रियों को बिना प्राप्त किये ही निर्धारित मापदंड (38,500 रुपये) से भी अधिक इन सामग्रियों को निर्गत किया गया। इन सामग्रियों की प्राप्ति रसीद

उत्तरदायी पदाधिकारी/व्यक्ति से नहीं ली गयी। बहुत से मद में इन सामग्रियों की आपूर्ति का माँग पत्र नहीं था। अंकेक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि 10 कमरे युक्त आवास के स्थान से इतनी अधिक मात्रा में आपूर्ति की गयी सज्जा–सामग्री एवं वातानुकूलन मशीन जैसे विद्युत उपकरण का कोई मेल नहीं था। अतः आपूर्ति अधिकारी द्वारा दुर्विनियोजन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण द्वारा इंगित किये जाने पर प्रमंडलीय पदाधिकारी ने कहा (जुलाई, 1997) कि आवश्यकता एवं मुख्य मंत्री सचिवालय से माँग पत्र के आधार पर मुख्य मंत्री आवास को ये सामग्रियाँ निर्गत की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बार–बार अनुस्मारक के बाद भी अंकेक्षण को ऐसा कोई माँग–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया एवं आपूर्ति की गयी सज्जा–सामग्री मापदंड से काफी अधिक थी तथा आवास के आकार के अनुपातिक नहीं थी।

(iii) ऐसा ज्ञात हुआ कि 1990–95 के दौरान 11 भूतपूर्व मंत्रियों एवं तात्कालिक मुख्य मंत्री द्वारा 14.53 लाख रुपये मूल्य की सज्जा–सामग्रियों को वापस नहीं किया गया जो बिहार मंत्रिमंडलीय वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 1953 की धारा के अनुसार अपेक्षित था। फिर भी, पुनः उन्हें दूसरे सत्र मई, 1995 से मई, 1997 के दौरान 11.39 लाख रुपये की सज्जा–सामग्री मुहैया करायी गयी जो उपर्युक्त विवरणी से देखा जा सकता था।

मंत्रियों एवं तत्कालीन मुख्य मंत्री से पुरानी सामंग्रियों (14.53 लाख रुपये मूल्य की) को बिना प्राप्त किये पुनः सज्जा–सामग्री निर्गत करना सरकार द्वारा अगस्त, 1989 में निर्गत आदेश के अनुरूप नहीं था जबकि निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार इन सामग्रियों की आयु समाप्त नहीं हुई थी।

(iv) निम्नलिखित 3 भूतपूर्व मंत्रियों ने 1996 में लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर मंत्रिमंडल एवं विधान–सभा से इस्तीफा दे दिया। 1990–95 के दौरान उन्हें निर्गत की गयी 1.87 लाख रुपये मूल्य की सज्जा–सामग्रियों को उन्होंने वापस नहीं किया जिसका विस्तृत विवरण निम्न है :–

क्रम सं0	मंत्रियों के नाम	निर्गत सामग्रियों का मूल्य (लाख रुपये में)	निर्गमन की अवधि	निर्गत एवं वापस नहीं किया गया मद
1	सर्वश्री वृषण पटेल	0.76	1990	सोफा सेट, पलंग, कुर्सी, भोजन टेबुल, श्रृंगार टेबुल, गद्देदार बिस्तर, सिल्क का परदा इत्यादि
2	चन्द्र देव प्रसाद वर्मा	0.34	1995	पर्दा का कपड़ा, पलंग, सोफा इत्यादि
3	विद्या सागर निषाद	0.77	1990–95	सोफा सेट, पलंग, टेबुल, सिल्क का पर्दा इत्यादि

(v) 5 मंत्रियों (सर्वश्री मंगनी लाल मंडल, रमई राम, रामजीवन सिंह, पशुपति कुमार पारस एवं इन्दर सिंह नामधारी) ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। फिर भी 1990–95 के दौरान निर्गत 5.11 लाख रुपये के सज्जा–सामग्रियों को उन्होंने वापस नहीं किया।

नियमानुसार सज्जा–सामग्रियों की सम्पत्ति–सूची का समय–समय पर भौतिक सत्यापन के लिए प्रभारी कनीय अभियंता / सहायक अभियंता (केन्द्रीय प्रमंडल, भवन निर्माण एवं आवास विभाग) थे। आवास खाली करते समय उपलब्ध सामग्रियों की सही संख्या निर्धारित करने के लिए उन्हें सम्पत्ति–सूची तैयार करना था। माल–सूची तैयार करते समय किसी तरह की कमी दिखने पर कार्यपालक अभियंता को वसूली के लिए सूचित करना था। तथापि इस व्यवस्था का पालन नहीं किया गया परिणामस्वरूप भूतपूर्व मंत्री से सामग्रियों की कीमत (5.11 लाख रुपये) वसूली नहीं जा सकी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (अक्टूबर, 1997) उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर, 1997)।

विभागीय स्पष्टीकरण

वर्ष 1996–97 कंडिका 4.1 का उत्तर (i) वर्ष 1990–95 के अवधि में तत्कालीन मुख्य मंत्री के आवास में साज–सज्जा सामग्री निर्गत की गई। वे सभी मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा समय–समय पर सूचित माँग के आधार पर निर्गत किए गए सामग्रियों की आपूर्ति निविदा / कोटेशन आमंत्रण के पश्चात् सक्षम पदाधिकारी के द्वारा दर अनुमोदन के उपरान्त अधिकृत आपूर्तिकर्ता / संवेदक के द्वारा प्राप्त की गई। इन सामग्री के क्रय / आपूर्ति हेतु विभागीय स्तर से आवश्यक निधि का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। ज्ञातव्य हो कि मुख्य मंत्री आवास में राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य व्यक्तियों का आगमन प्रायः होता रहता है, जिसके कारण परिस्थितिजन्य स्थितियों में विशेष साज–सज्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हेतु मुख्य मंत्री सचिवालय के आदेशानुसार प्रमंडलीय कार्यालय को तत्पर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। अतः उपर्युक्त परिस्थिति में इसे अधिकाई व्यय करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 23 अगस्त, 2011 की बैठक में अद्यतन सर्कुलर समिति को उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ एवं महालेखाकार एवं वित्त विभाग के सहमति के उपरान्त इस कंडिका को समिति द्वारा निष्पादित किया गया।

अध्याय IV

सी0ए0जी0 प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 (सि0) पृ0 सं0 190–195 द्रष्टव्य

भवन निर्माण विभाग

अस्पताल का निर्माण 10 वर्षों तक अधूरा रहना

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार ने सदर अस्पताल गोपालगंज के अहाते में 21.05 लाख रुपये की लागत पर 60 शय्या वाले अतिरिक्त अस्पताल (शल्य कक्ष, विसंक्रमण कक्ष, कार्य कक्ष, विद्युत् एवं स्वास्थ्य कार्य सहित) के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति (अक्टूबर, 1984) दी।

> विभाग द्वारा रूपांकरण की तैयारी एवं निधि का उपयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप गोपालगंज जिला में 60 शय्या वाले अस्पताल के अपूर्ण निर्माण पर निष्फल व्यय हुआ।

अधीक्षण अभियंता (अ0अ0), भवन निर्माण एवं आवास अंचल, छपरा ने अतिरिक्त अस्पताल के असैनिक निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 13.64 लाख रुपये) को डेढ़ वर्षों में पूरा करने के लिए निम्नतम संवेदक को 15.42 लाख रुपये की लागत पर आवंटित (दिसम्बर, 1984) किया। कार्यपालक अभियंता (का0अ0) ने एजेंसी के साथ नवम्बर, 1985 में (अर्थात करीब एक वर्ष बाद) अनुबंध किया। तदोपरान्त मुख्य अभियंता द्वारा कार्य पूरा करने की अवधि बढ़ाकर (मई, 1988) सितम्बर, 1988 कर दी गई।

एजेंसी ने सितम्बर, 1988 तक 13.82 लाख रुपये के व्यय पर छत स्तर तक का कार्य पूरा किया उसके बाद समय पर कार्य के नक्शे की अनापूर्ति एवं श्रम तथा सामग्री की लागत में तीव्र वृद्धि के आधार पर कार्य छोड़ दिया और अपनी संविदा को समाप्त करने का अ0अ0 से अनुरोध किया (जून, 1989)। अ0अ0 ने संविदा को समाप्त कर दिया (अक्टूबर, 1989) एवं का0अ0 को संशोधित आकलन तैयार करने के लिए कहा।

का0अ0 ने 7 वर्षों बाद दिसम्बर, 1996 में 38.14 लाख रुपये का संशोधित आकलन तैयार करते हुए कहा कि निधि की अप्राप्यता एवं पुराने दर पर कार्य के क्रियान्वयन में एजेन्सी द्वारा असमर्थता के कारण मूल लागत पर भवन निर्माण पूरा नहीं किया जा सका। तथापि, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि प्रमंडल को 1985–86 से 1987–88 के दौरान इस कार्य के लिए 19 लाख रुपये की निधि उपलब्ध करायी गयी थी। लेकिन प्रमंडल केवल 13.82 लाख रुपये का ही उपयोग कर सका एवं शेष 5.18 लाख रुपये व्यपगत हो गये। इसके अतिरिक्त यद्यपि कार्य के नक्शे की अनापूर्ति के कारण अगस्त, 1986 तक कार्य लंबित रहा, नींव एवं आर0सी0सी0 का रूपांकण एजेन्सी को क्रमशः सितम्बर, 1986 एवं जून, 1988 में उपलब्ध कराया गया था। अ0अ0 / मु0अ0 द्वारा संशोधित आकलन अभी भी स्वीकृत किया जाना था एवं कार्य जनवरी, 1998 तक अपूर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। फलस्वरूप गोपालगंज जिले के लोग करीब 10 वर्षों से 60 शय्या वाले अतिरिक्त अस्पताल का लाभ उठाने से वंचित रहे।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई, 1998) उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी, 1999)।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभागीय पत्रांक 7088 (भ), दिनांक 26 जुलाई, 2007 द्वारा इस कंडिका का उत्तर उप–सचिव, बिहार विधान–सभा सचिवालय (लोक लेखा समिति कोषांग) पटना को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है :–

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गोपालगंज भवन प्रमंडल के पत्रांक 439 अनु0, दिनांक 14 सितम्बर, 2001 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जवाबदेह पदाधिकारी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, श्री नगेन्द्र प्रसाद पूर्णरूपेण दोषी है तथा मामले के समय पर निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, श्री आर0 के0 बहादुर एवं नोमान अंसारी, भवन प्रमंडल, छपरा के साथ ही साथ तत्कालीन मुख्य अभियंता, श्री सुब्बाराव एवं श्री बी0एन0 बैकर उत्तर बिहार उपभाग भी जवाबदेह है।

(2) अभियंत्रण पदाधिकारी का पैत्रिक विभाग पथ निर्माण है उक्त पदाधिकारियों पर सम्यक कार्रवाई के लिए विभागीय पत्रांक 6520 (भ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2001 के माध्यम से सूचना की माँग सचिव, पथ निर्माण विभाग से किया गया था जिसके आलोक में पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 3013 (एस), दिनांक 20 सितम्बर, 2002 द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ दी गयी है :–

क्र0सं0	पदाधिकारियों का नाम	अद्यतन स्थिति
1	श्री नागेन्द्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता	दिनांक 31 जनवरी, 1997 को सेवा निवृत। पता–मु0मिस्कौट, पो0 मोतिहारी (पू0 चम्पारण)
2	श्री आर0 के0 बाहदुर, अधी0 अभियंता	दिनांक 31 अगस्त, 1988 को सेवा निवृत। पता – गीतांजली, रोड नं0 6, पटेल नगर, पटना–23
3	श्री नोमान अंसारी, अधी0 अभियंता	इनका पता तथा संचिका तत्काल उपलब्ध नहीं है।
4	श्री सुब्बाराव, मुख्य अभि0	सम्प्रति अभियंता प्रमुख के पद से दिनांक 31 मार्च, 1986 को सेवानिवृत। पता–एम0आई0जी0 175, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना –20
5	श्री बी0 एन0 बैकर, मुख्य अभि0	सेवा निवृत, मुख्य अभि0, पता–रोड नं0 1 (एक्सटेंशन) राजवंशी नगर, पटना–23

(3) उक्त सभी पदाधिकारी लगभग 12 से 21 वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं। इन पदाधिकारियों पर राशि के विचलन तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय पर निरीक्षण नहीं करने संबंधी विषय पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का मामला बनता है। कंडिका ने वर्णित तथ्यों के आलोक में इनसे सरकारी राजस्व की वसूली करने का मामला भी नहीं है। चूँकि ये सभी पदाधिकारी सेवा निवृत्त हो चूके हैं ऐसी स्थिति में इनपर अनुशासनिक कार्रवाई संभव नहीं है।

अतः वस्तुस्थिति से लोक लेखा समिति के माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाये।

कार्यपालक अभियंता, गोपालगंज ने पत्र सं0 807, दिनांक 9 अगस्त, 2011 द्वारा बतलाया गया है कि भवन पूर्ण हैं तथा अस्पताल प्रशासन द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। (प्रति संलग्न) अनुलग्नक पृ सं0 20–21 पर द्रष्टव्य

समिति की अनुशंसा

दिनांक 23 अगस्त, 2011 की बैठक में विभागीय उत्तर, महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका को समिति द्वारा निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 प्रतिवेदन वर्ष 1998–99 (सि0) पृ0 सं0 195 द्रष्टव्य

4.4 विशेष मरम्मत पर अतिरिक्त लागत एवं निरर्थक व्यय

भवन निर्माण विभाग

मुख्य मंत्री के आदेशानुसार विनिर्देशन में परिवर्त्तन से विशेष मरम्मत पर 11.10 लाख रुपये का अतिरिक्त एवं निरर्थक व्यय हुआ था।

अधीक्षण अभियंता (अ0अ0) दक्षिण बिहार (भवन) अंचल, पटना ने पटना हवाई पत्तन में राजकीय विमानशाला के सामने पटट एवं धावनपथ की विशेष मरम्मत का कार्य निम्नतम संवेदक को 5.49 लाख रुपये की आकलित लागत पर प्रदान किया। 50 मि0मी0 औसत समतलीकरण पथ मोटाई (25 मि0मी0 से 75 मि0मी0 परिवर्त्ती) तथा पुराने अलकतरा युक्त सतह पर 20 मि0मी0 मोटा ओपेन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट के लिए कार्य प्रदान किया गया था।

कार्यपालक अभियंता (का0अ0), केन्द्रीय (भवन) प्रमंडल, पटना ने जुलाई, 1993 में संवेदक के साथ फरवरी, 1994 में पूरा करने के लिए 5.49 लाख रुपये का अनुबंध किया। संवेदक ने 3.52 लाख रुपये का कार्य क्रियान्वित किया तथा दिसम्बर, 1993 में 3.50 लाख रुपये का भुगतान पाया। जबकि कार्य प्रगति पर था, मुख्य मंत्री ने स्थल का निरीक्षण किया (दिसम्बर, 1993) तथा अलकतरायुक्त कार्य के बदले पक्का सीमेंट कंक्रीट (पी0सी0सी0) द्वारा कार्य की विशेष मरम्मती का आदेश दिया। संविदा समाप्त कर दी गयी तथा दिसम्बर, 1993 में कार्य स्थगित कर दिया गया। मुख्य मंत्री के आदेश की व्यवहार्यता तथा लागत पर इसके प्रभाव की जाँच किये बिना अलकतरा युक्त कार्य के बदले पी0सी0सी0 कार्य के लिए एक साल के अन्तराल के बाद (जनवरी, 1995) का0अ0 द्वारा 9.65 लाख रुपये का नया आकलन तैयार किया गया तथा अ0अ0 द्वारा स्वीकृत किया गया। का0अ0 द्वारा कार्य को पुनः निविदित किया गया (फरवरी, 1995) लेकिन निधि की अनुपलब्धता के आधार पर अ0अ0 द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। दर अनुसूची के संशोधन (11 मई, 1996) के कारण का0अ0 द्वारा 13.09 लाख रुपये का नया आकलन प्रस्तुत किया गया तथा उसी राशि को अ0अ0 द्वारा सितम्बर, 1996 में स्वीकृत किया गया। विनिदेशन में परिवर्तन के कारण आकलन के संशोधन का परिणाम 7.60 लाख रुपये (13.09 लाख रुपये–5.49 लाख रुपये) की अतिरिक्त लागत निकला। का0अ0 ने कहा (सितम्बर, 1998) कि कार्य के विर्निदेशन में परिवर्तन उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार किया गया था। हाँलाकि लेखा परीक्षा को ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनर्निविदा के बाद (अक्टूबर, 1996) अ0अ0 द्वारा दूसरे निम्नतम संवेदक को 13.09 लाख रुपये पर कार्य प्रदान (मार्च, 1997) किया गया। संवेदक ने जुलाई, 1997 में का0अ0 के साथ जनवरी 1998 तक पूरा करने के लिए 13.09 लाख रुपये का अनुबंध क्रियान्वित किया। 11.91 लाख रुपये के कार्य के क्रियान्वयन (जनवरी, 1998 तक) तथा उतना ही का भुगतान (जनवरी, 1998) प्राप्त करने के बाद संवेदक ने बिना कोई कारण बताये कार्य बंद कर दिया। सितम्बर, 1998 तक यह शुरू नहीं हुआ था। का0अ0 ने अनुबद्ध अवधि के भीतर कार्य पूरा नहीं करने के लिए अनुबंध के दंड प्रावधान को लागू नहीं किया तथा अनुबंध रद्द नहीं किया गया एवं सितम्बर, 1998 तक चूककर्त्ता संवेदक के जोखिम एवं लागत पर दूसरे एजेंसी द्वारा नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त अलकतरा युक्त से पी0सी0सी0 कार्य में विर्निदेशन परिवर्त्तन 3.52 लाख रुपये की लागत पर पहले ही से क्रियान्वित अलकतरायुक्त कार्य के निष्कासन का कारण बना तथा उसपर निरर्थक व्यय हुआ।

अतः कार्य जो 5.49 लाख रुपये की लागत पर फरवरी, 1994 में पूरा होना था, सितम्बर, 1998 तक अपूर्ण रहा तथा बिना किसी वैध कारण के विर्निदेशन में परिवर्त्तन का परिणाम 7.60 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत एवं 3.50 लाख रुपये का निरर्थक व्यय निकला।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई, 1999) उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर, 1999)।

विभागीय स्पष्टीकरण

वर्ष 1998–99 कंडिका 4.4 का उत्तर विभागीय पत्रांक 7088 (भ), दिनांक 26 जुलाई, 2007 द्वारा इस सिविल कंडिका का उत्तर उप–सचिव, बिहार विधान–सभा सचिवालय (लोक लेखा समिति कोषांग) पटना को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है :– उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1808 अनु0, दिनांक 18 सितम्बर, 2001 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ :–

(1) वर्ष 1993 में पटना हवाई पतन में राजकीय विमानशाला के सामने पट्ट एवं धावन पथ की विशेष मरम्मती निर्धारित सभी प्रक्रिया के पश्चात् 5.49 लाख रुपये के एकरारनामा के साथ कार्य प्रारंभ किया गया। इस क्रम में विमानन पदाधिकारी तथा विभाग के पदाधिकारियों के साथ तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री के निरीक्षण के समय पाया गया कि हेलिकॉप्टर / विमान के उड़ान भरने का कार्य में व्यवहृत स्टोन चिप्स बिटुमेन से छुटकर हवा में उड़ने लगता है। यथा स्थल यह निर्णय हुआ कि किड्स पट्ट एवं धावन पथ की मरम्मती पी0सी0सी0 (रिजिट पेशमेंट) से कराया जाये। फलस्वरूप प्रगतिशील बिटुमेंस कार्य को यथावत रोक दिया गया तथा एकरारनामे को बंद कर दिया गया। यह किसी प्रकार के दुर्घटना के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से किया गया। इस प्रकार 3.50 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय हुआ जिसे निरर्थक नहीं कहा जा सकता है।

(2) स्थल निरीक्षण के क्रम में प्राप्त निर्देश के तहत उक्त कार्य के बदले पी0सी0सी0 का कार्य 9.05 लाख रुपये की लागत पर प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। परन्तु राशि के अभाव में कार्य संपादित नहीं कराया जा सका।

(3) कार्य की अनवार्सता के आलोक में पुनरीक्षित अनुसूचित दर के अंतर्गत मई,1996 में 13.09 लाख रुपये की स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर विहित प्रक्रियात्मक कार्रवाई के साथ पुनः कार्य प्रारंभ किया गया। परंतु पट्ट एवं धावन पूरी तरह समतल नहीं होने के कारण 3 '' से अधिक पी0सी0सी0 करने की आवश्यकता महसूस किया गया। परिस्थिति विशेष में विशिष्ट / निरूपेण के लिए सक्षम पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर पट्ट एवं धावन पथ के विभिन्न स्थानों पर लेवल नम्बर कार्य कराया गया इस बदले परिप्रेक्ष्य में 11.91 लाख रुपये कार्य सम्पन्न होने के बाद पी0सी0सी0 की मात्रा उपबंधित मात्रा तक पहुँच गई। फलतः मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 948 अनु0, दिनांक 16 जुलाई, 1986 की कंडिका 8.1.2 के आलोक में पी0सी0सी0 का और भी कार्य एकरारनामें के तहत नहीं कराया जा सका हालांकि एकरारनामें की राशि 13.09 लाख रुपये की राशि से इस एकरारनामे को बंद करने के लिए विभाग के सामने विवशता हो गयी।

(4) इस प्रकार 11.91 लाख रुपये पर कार्य रूकने के लिए संवेदक के चूक के लिए अनुबंध के दंड के प्रावधानों को लागू नहीं करना तथा अनुबंध रद्द नहीं करना सही नहीं है। अतएव उक्त तथ्यों एवं सम्यक नियम के आलोक में अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित 7.60 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत एवं 3.50 लाख रुपये का निरर्थक व्यय होने का आधार नहीं बनता है।

पुनश्चः / तत्कालीन मुख्य मंत्री के आदेश के अनुपालन में विभिन्न स्तरों पर उपर्युक्त वर्णित कार्य कराया गया। कंडिका (3) में दिए गए उत्तर के संबंध में पुनः सूचित करना है कि एकरारित पी0सी0सी0 की मात्रा तक कार्य कराने के पश्चात् भी पी0सी0सी0 के शेष कार्य बचा रहा गया था, जो प्राक्कलन में उचित आकलन नहीं हो पाने के कारण प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में एकरारनामा अव्यवहारित हो गया, जिसके कारण एकरारनामा को विभागीय स्तर पर बंद करने के आलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जिसके लिए संवेदक को एकरारनामा के उपबंध के अंतर्गत दंड का भागी ठहराना उचित नहीं समझा गया। वर्तमान स्थिति में कार्य पूर्ण हैं।

अतः वस्तुस्थिति से लोक लेखा समिति के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को अवगत कराते हुए इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाये।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 23 अगस्त, 2011 की बैठक में विभागीय उत्तर के आलोक में तथा महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका को समिति द्वारा निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 (सि0) पृ0सं0 124–125 द्रष्टव्य

भवन निर्माण विभाग

4.1.5 संदेहास्पद कपटपूर्ण भुगतान

एम0 एस0 रिइन्फोर्समेन्ट पर 48 लाख रुपये और बिना किसी प्रमाण के सामग्रियों के ढुलाई पर 48.59 लाख रुपये का कपटपूर्ण भुगतान।

75 बिस्तरें वाली अनुमंडल अस्पताल, महुआ के निर्माण का कार्य एक संवेदक को 3.68 करोड़ रुपये में दिया गया था (जून, 2006) जिसमें मिट्टी के ढुलाई के लिये 27.41 लाख रुपये अनुपूरक के रूप में शामिल थी (नवम्बर, 2006)। कार्य अभीतक निर्माणाधीन थी (सितम्बर, 2007)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई, 2007) से निम्नलिखित बातें उदघटित हुए :–

• मात्रा विपत्र के अनुसार 3272.36 घन मीटर (कुल प्राक्कलित) आर0सी0सी0 कार्य[12] के लिए 280 मैट्रिक टन माइल्ड स्टील रिइन्फोर्समेन्ट की आवश्यकता थी। सातवें चालू लेखा विपत्र (मई, 2007) तक 3580.64 घन मीटर आर0सी0सी0 कार्य निष्पादित कर दिये गये थे लेकिन 306.38 मैट्रिक टन माइल्ड स्टील (3.56 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 462.89 मैट्रिक टन (4.04 करोड़ रुपये) माइल्ड स्टील के लिए भुगतान किया गया। इस प्रकार 156.51 मैट्रिक टन माइल्ड स्टील के अधिक खपत पर 48 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। बिहार लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता के नियम 84 के अनुसार आवश्यक माइल्ड स्टील रिइन्फोर्समेन्ट, ईंट और सीमेंट के कोई खरीद वाउचर नहीं थे।

• करार के अनुसार मिट्टी को शेखपुरा से और बालू को क्यूल और स्थानीय स्तर से लाया जाना था। संवेदक को लघु खनीजों के खरीद के समर्थन में फार्म एम, एन और एफ[13] को जमा करना आवश्यक था। संवेदक द्वारा कोई भी कागजात जमा नहीं किये गये लेकिन करार के अनुसार प्रमंडल लघु खनीजों के ढुलाई के मद में 48.59 लाख रुपये[14] का भुगतान कर दिया (मई, 2007)।

---

[12] रिइन्फोर्समेन्ट सीमेंट कंक्रीट

[13] फार्म एम : अधिकृत क्येरी / विक्रेता से लघु खनीजों के उठाव के लिए संवेदक का शपथ–पत्र फार्म एन : अधिकृत विक्रेता / क्येरी द्वारा निर्गत लघु खनीजों का विवरण और फार्म एफ अधिकृत विक्रेता / क्येरी से निर्गत चालान खनन विभाग द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

[14] मिट्टी : (28,07,269 रुपये + 2,24,582 रुपये) + क्यूल बालू (12,88,050 रुपये + 1,03,044 रुपये) + स्थानीय बालू (1,77,220 रुपये + 14,178 रुपये) + ईंट (2,26,284 रुपये + 18,103 रुपये) = 48,58,730 रुपये

• संविदा के विशेष शर्तों के अनुसार संवेदक के पास गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला नहीं था जिससे कार्य में उपयोग किये गये सामग्रियों की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया गया।

इस प्रकार, 48 लाख रुपये का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान और बिना प्रमाण के माल के ढुलाई पर 48.59 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर, 2007) उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर, 2007)। मामला विकास आयुक्त और मुख्य सचिव, भवन निर्माण विभाग से विमर्श किया गया (नवम्बर, 2007)।

विभागीय स्पष्टीकरण

We would like to clarify that the Tender is done on the basis of Model Estimate and accordingly agreement is done. But while execution of work the Design and Drawing is prepared on the basis of soil test which was done on 19th May, 2006 and report submitted on 20 May, 2006. Agreement with Contractor was done on 28th June, 2006.

The Design Section normally does not issue the complete Structural Drawing but stage wise. So we get the Foundation & First Floor Drawing and on the basis of that assuming other floor same prepared the Revised Estimate. The Revised Estimate is sent to Design Section for Technical Sanction & finally for approval of Chief Engineer.

It is prudent to consider the above facts before coming to any conclusion. Now we will clarify your all doubts parawise raised by you ....

You have raised the quantity of M 200 item wise, we explain accordingly ....

Sl. No.	Item	Revised/T.S. Qnty. (Cum)	Paid Qnty.	Difference Qnty.	%
1	M200 in foundation	987.585	1007.58	+ 19.915	+2.00
2	M200 in Graded Beam	197.414	197.42	+ 00.006	+0.003
3	M200 in Band at P.L.	26.806	26.8061	± 00.000	±00.00
4 & 5	M200 in Column	447.349	451.5421	+4.193	+0.93

In your Annexure you have shown the 58.14 cum quantity of agreement quantity and Nil in the Revised/T.S. quantity which is nothing but the quantity of pedestal and column below the Ground Floor Level which is directly taken in Sl. No. 5 but not in Sl. No. 4 due to same rate. Hence variation in only between revised & paid in Sl. No. 4 above in nominal.

6	M200 in Beams	631.284	635.649	+4.365	+0.69
7	M200 in Lintel	5.436	5.436	±0.000	±0.00
8	M200 in Band at L.L.	16.885	16.466	(-)0.435	-2.60
9	M200 in Chhajja	490.760	404.362	3.602	+0.70
10	M200 in Roof Slab	669.310	878.030	+8.720	+1.30
11	M200 in Stair case	67.513	67.447	-0.066	-0.09
	Total	3540.00	3580.642	+40.300	+1.13

By the above chart is very clear that variation is very normal and it is practical.

Now you have raised that Rs. 48.44 lakhs payment towards reinforcement paid by this division is doubtful. We would like to clarify that the way you have calculated the quantity of reinforcement 306.38 MT for RCC Qnty. of 3580.642 cum is totally hypothetical [(280MT/3272.36) x 3580.642 = 306.38MT]. Therefore kindly consider the Design aspects squarely to avoid the creation of doubt. (Enclosed the reinforcement details paid). For proof of purchase of cement & steel, we are enclosing the Manufacturer Test Certificate which has been issued to the contractor by the manufacturing company. More over we are not having any directive to collect the purchase vouchers.

So far the Form M, N & F is concerned, it is required not to deduct the royalty from the contractors bill directly. But if they don't produce the above at the time of payment then royalty should be deducted as per the rates specified for the different materials by the Mining Department (Clause 11 of Special Condition of contract may be seen which is enclosed herewith).

Further you have mentioned that Contractor has not setup the Test Laboratory as stipulated in the contract. In this regard we again refer Clause-32 of the Special Condition of Contract which is self explanatory.

Lastly about the Carriage Cost of Stone Chips an supplementary agreement has been done (6F2/06-07. dtd-10 Nov, 2006) vide Se's letter no. 706, dtd-16 Oct, 2006) due to increase in carriage rate. The total carriage cost of stone chips comes to Rs 34.43 Lakhs only. Therefore the figure of Rs. 42.72 Lakhs is the carriage cost of all the materials like Bricks, Sand (local + kiul) and stone chips altogether. If you see the T.S. of revised estimate, the you will find that the total carriage cost of all the materials comes to Rs. 56.29 Lakhs.

समिति की अनुशंसा

दिनांक 17 फरवरी, 2011 की बैठक में विभागीय उत्तर के आलोक में इस कंडिका को समिति द्वारा निष्पादित किया गया।

पटना :
दिनांक 28 मार्च, 2012 (ई0)।

(ह0) अस्पष्ट,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा,
पटना।

पत्र सं0 600 अनु0

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन प्रमंडल, छपरा

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, छपरा।

सेवा में

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

छपरा, दिनांक 4 अप्रील, 2011

विषय––लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) के अंकेक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंग––भवदीय का पत्रांक 2158 (भ), दिनांक 15 मार्च, 2011।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयगत कार्य के पूछे गये प्रश्न का उत्तर संलग्न कर अद्यतन प्रतिवेदन के साथ भवदीय की सेवा में समर्पित की जा रही है। विदित हो कि विषयगत भवन संबंधित विभाग को हस्तगत भी करा दिया गया है (पत्र की छाया प्रति संलग्न)

अनु0––1. प्रपत्र मूल में।
2. भवन हस्तगत पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन,
(ह0)/– अस्पष्ट,
कार्यपालक अभियन्ता,
भवन प्रमंडल, छपरा।

वर्षवार कंडिका सं0	आपत्ति की सारांश	विभागीय अनुपालन	अभ्युक्ति
1993–94 की कंडिका 4.2	छपरा के निबंधन कार्यालय से संलग्न अभिलेख कक्ष (सिविल एवं जल आपूर्ति कार्य) के निर्माण एवं विस्तार का रुपये के लिए दिया गया जिसमें से 3.76 लाख रुपये असैनिक कार्यों के लिए था। नवम्बर, 1983 में आकलित लागतों 8.13 लाख रुपये तक संशोधित कर दिया गया। तथापित दोनों आकलनों में से किसी के संशोधित आकलन एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन के पूर्व ही कार्यपालक अभियंता, भवन, प्रमंडल, छपरा ने असैनिक कार्यों के समापन के लिए संवेदक "क" के साथ एक संविदा का क्रियान्वयन 4.33 लाख रुपये की आंकलित लागत पर किया। 2.12 लाख रुपये मूल्य के कार्य के समापन एवं मार्च, 1986 का संवेदक "क" एवं 1.36 लाख रुपये के भुगतान के पश्चात् बिना कोई कारण संविदा के बन्द कर दिया गया।	(1) सन् 1983 में 3.76 लाख रुपये असैनिक कार्यों के लिए था। (2) कार्य बन्द होने का कारण :– एकरारनामा 4.33 लाख रुपये का हुआ परन्तु संवेदक के द्वारा सामग्रियों के दर में बढ़ोत्तरी के कारण कार्य को पूर्ण करने में रूचि नहीं ली जा रही थी। इसलिए उसके आवेदन पर मुख्य अभियंता द्वारा एकरारनामा बन्द करने का आदेश दिया गया, उस क्रम में संवेदक को 2.12 लाख के कार्य के एवज में मात्र 1.36 लाख रुपये मात्र का ही भुगतान करके शीघ्र भुगतान को रोकते हुए कार्य बन्द कर दिया गया। (3) पहले संवेदक के एकरारनामा बन्द करने के बाद दूसरे संवेदक के साथ दिनांक 25 अप्रैल, 1988 को मुख्य अभियंता के निर्देशानुसार 4,78,115.00 रुपये मात्र का एकरारनामा कर 4,76,000.00 रुपये भुगतान के पश्चात् कार्य करा दिया गया। (4) अद्यतन प्रतिवेदन भवन को जिला अवर निबंधक सारण को सभी कार्यों को पूर्ण कर हस्तगत् करा दिया गया है (पत्र की छायाप्रति संलग्न)	

अनुलग्नक

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन प्रमंडल, छपरा।

पत्रांक 584 / दिनांक 31.3.11

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, छपरा।

सेवा मे,

[illegible]
[illegible]

विषय :- नव निर्मित [illegible]

हस्तगत कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि छपरा जिला अंतर्गत न[illegible]त [illegible]

कार्य पूर्ण कराकर हस्तानान्तरित किया जाता है।

हस्तानान्तरित करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

01/04/2011

FAX NO. : Jan. 11 2012 01

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण प्रमंडल, औरंगाबाद

पत्रांक 807, दिनांक 19/8/11

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता
भवन निर्माण प्रमंडल,
औरंगाबाद।

सेवा में,
मुख्य अभियंता
भवन निर्माण विभाग
उत्तर बिहार प्रमंडल,
बिहार, पटना।

विषय:- औरंगाबाद जिला अस्पताल के प्रांगण में निर्मित 60 शैय्या वाले अस्पताल भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आज दिनांक - 19-8-2011 को दूरभाष पर वार्तालाप के प्राप्त निदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक निदेश के आलोक में सूचित करना है कि जनरल प्रांगण, औरंगाबाद में 60 शैय्या वाले अस्पताल भवन के निर्माण हेतु कुल रु. 21,04,500=00 मात्र के लिये प्रशासनिक स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक - 253 (10) दि० - 19-1-84 द्वारा दी गई थी।

(ii) इस कार्य का एकरारनामा सं०- 2 / वि० 85-86 है तथा इस कार्य के संवेदक का नाम M/S राजभूषण प्रसाद ग्राम - हसुआ, जिला - औरंगाबाद थी।

(iii) कार्य हेतु प्राक्कलन सं०- 85-86, 87-88 में कुल रु०- 19.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध संवेदक द्वारा किये गये कार्य की अंतिम विपत्र की राशि रु. 8,65,649=00 मात्र था। भवन कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। जिसका कारण संवेदक द्वारा भुगतान में विलम्ब एवं सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि बताया गया।

(iv) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (भ) प्र० के पत्रांक - 743 दि० 15-10-89 द्वारा प्राप्त आदेश के तहत एकरारनामा बन्द कर दिया गया।

(v) पुनः शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु एक पुनरीक्षित प्राक्कलन उच्चाधिकारियों को भेजा गया परन्तु उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी।

(vi) तत्कालीन जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा प्राप्त निदेशानुसार निर्माणाधीन अस्पताल भवन को अस्थायी तौर पर औरंगाबाद के नियमित ... सुविधा के ध्यान में रखते हुए ...

जिला योजना पदाधिकारी, गोपालगंज को सौंप दिया गया। उप जिला प्रशासन द्वारा प्रोफ कार्य [illegible] गई, ताकि उपलब्ध कराकर जिला परिषद गोपालगंज द्वारा पूर्ण कराया गया।

(viii) वर्तमान में भवन पूरी तरह पूर्ण है। उद्घाटन के उपरान्त अस्पताल प्रशासन द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

17/9/2011

कार्यपालक अभियंता

[illegible] प्रमंडल

17/9/11 [illegible]

सेवा में

उप–सचिव,

बिहार विधान–सभा,

पटना।

पटना, दिनांक 18 मई, 2012।

विषय––लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन संख्या 483, 485, 486 एवं 487 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण।

प्रसंग––आपका पत्र संख्या–2लो0ले0स0–16 / 12–557 / वि0स0 एवं 2लो0ले0स0–17 / 12 –556 / वि0स0, दिनांक 26 अप्रील, 2012 तथा 2 लो0ले0स0–15 / 12–593 / वि0स0 एवं 2लो0ले0स0–18 / 12–594 / वि0स0, दिनांक 27 अप्रैल, 2012

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) की निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, भवन निर्माण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों की कंडिकाओं तथा आधिक्य व्यय के विनियमितिकरण पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या 483, 485, 486 एवं 487 में सन्निहित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के आँकड़ों का सम्परीक्षण कर आवश्यक सुधार के पश्चात् इसे मूल रूप में लौटाया जा रहा है।

अनुलग्नक–––प्रासंगिक पत्रों के अनुलग्नकों की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,

(ह0) / –अस्पष्ट,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,

बिहार, पटना

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2012